## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 260 / 2023

अनवान : –

1. लक्ष्मी पुत्री श्योपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सन्तोष पत्नी श्योपाल सिंह जाति जिपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज०।
2. कविता पुत्री श्योपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सन्तोष पत्नी श्योपाल सिंह नाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज०।

– प्रार्थी

बनाम्

1. सरस्वती देवी पत्नी सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज० ।
2. ज्योपाल सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज०।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।।

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **गैरसायल**

**निर्णय** दिनांकः 27/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 88 / 91 की कुल 13.3290 है० भूमि में से सायलान की दादी गैरसायल संख्या 1 के 296 / 13329 हिस्सा व सायलान के पिता गैरसायल संख्या 2 के 148 / 13329 हिस्सा भूमि दर्ज है तथा खाता संख्या 30 / 27 के खसरा नं. 160 / 1 की 9.1050 है० भूमि में से सायलान की दादी गैरसायल संख्या 1 के 1 / 15 हिस्सा एवं सायलान के पिता गैरसायल संख्या 2 के 1 / 30 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि सायलान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्मजात ठल ठपतजी त्पहीज हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में सायलान संख्या 1–2 व गैरसायल संख्या 2 तीनो संयुक्त रूप से 1 / 5 हिस्सा एवं गैरसायल संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3, 4 ब० हि० ब० 3 / 5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के संयुक्त रूप से 1 / 5 हिस्सा एवं उपरोक्त दोनो खातों में गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में सायलान [illegible] गैरसायल संख्या 2 के साथ ब० हि०, ब० हक हिस्सा है सायलान इसी अनुसार [illegible] करवाकर जमाबंदी में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल संख्या 1 ता 2 जो कि काफी तेज तर्रार है तथा भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए तथा सायलान को उनके हक हिस्सा से महरूम कर समस्त भूमि अजनबी किस्म के लोगो को बेचान करने की फिराक में तथा भूमि को रहन बैय करने की धमकी दे रहे है यदि गैरसायल संख्या 1 ता 2 अपनी योजना में कामयाब हो जाता है तो सायलान के साथ घोर अन्याय होगा तथा सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं हैं इसलिए सायलान गैरसायल संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 88/91 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 13.3290 है० भूमि व खाता संख्या 30/27 के खसरा नं. 160/1 की 9.1050 है० भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 88/91 की कुल 13.3290 है० तथा खाता संख्या 30/27 के खसरा नं. 160/1 की 9.1050 है० भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायलान उतरदाता सं. 2 के जीवन काल में किसी प्रकार के हक का दावा करने की अधिकारी नही है क्योंकि यदि और औलाद हो जाती है तो विवाद बढ़ जायेगा तथा उत्तरदाता सं. 1 के विरूद्व नियमानुसार किसी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है व किसी प्रकार से उतरदाता सं. 1 को पाबन्द नही किया जा सकता है तथा विवाद केवल मात्र उतरदाता सं. 2 व सायलान का है। उतरदाता सं. 1 के विरूद्व किसी प्रकार की इस्तदुआ नही है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करापाने के अधिकारी नही है। उतरदाता सं. 2 का वाद भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के खाता सं. 88/91 में 148/13329 हिस्सा भूमि अर्थात 0.148 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 30 में 1/30 हिस्सा भूमि अर्थात 0.3035 हैक्टर भूमि है इस प्रकार दोनो खातो में केवल मात्र 0.4515 हैक्टर भूमि जो दो किला से ही कम भूमि है सिर्फ आजिविका का प्रतिवादी सं. 2 का यही साधन है उसके जीवन काल मे उक्त 0.4515 हैक्टर भूमि मे कोई घोषणा होती है तो ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा और यदि अभी युवावस्था मे है और सन्तान हो गयी तो भारी विवाद पैदा होगा इसलिए दरख्वास्त खारीज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामले से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 व 2 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 2 के पिता व प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। लेकिन अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि अप्रार्थी स0 1 को अपने पति से प्राप्त हुई है व अप्रार्थी स0 2 को उसके पिता से प्राप्त हुई है अप्रार्थी स0 1 व 2 दोनो के नाम भूमि विरासतन दर्ज हुई है अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण अप्रार्थी स0 1 को पाबन्द करवा पाने के अधिकारी नही है जबकि अप्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा है इसलिए अप्रार्थी स0 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। इसलिए अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 2 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी स0 1 के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थीगण का अप्राथी के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अप्रार्थी स0 2 द्वारा अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

3. <u>अपूर्णीय क्षति</u>– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को आंशिक होगी।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसम्मत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन से प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा

Rahul
उपखण्ड अधिकारी

बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 2 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 88/91 की कुल 13.3290 है० भूमि में से 148/13329 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 30/27 के खसरा नं. 160/1 की 9.1050 है० भूमि में से 1/30 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध दिनांक 23.10.2023 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27/03/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested